जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति, बच्चे, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम), औरंगाबाद (बिहार)।

नियमित जमानत आवेदन संख्या–277/2026

दाउदनगर थाना काण्ड संख्या–79/2021

10.03.2026 प्रस्तुत आत्मसमर्पण–सह–जमानत आवेदन आवेदकगण/अभियुक्तगण नामतः 1. श्रीकांत यादव उर्फ श्रीकांत कुमार एवं 2. नन्हे यादव उर्फ मुलायम यादव की ओर से दिनांक–15.01.2026 को आत्मसमर्पण–सह–जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसके उपरांत अभियुक्तगण आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आवेदन की प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक को दी गई है।

पुकार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदकगण निर्दोष है। आवेदकगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावा श्रीमान् के न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नहीं है और न ही लंबित है। आवेदकगण का अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण पुलिस बॉण्ड पर है। अतः आवेदकगण को किसी भी राशि के बंधपत्र पर जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक जमानत का विरोध करते है।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख पर संधारित मूल अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त जमानत आवेदन, दाउदनगर थाना काण्ड संख्या–79/2021 में इस न्यायालय द्वारा दिनांक–11.08.2021 को अंतर्गत धारा 452, 354(ए), 354(बी), 504, 506, 34 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3(i)(r)(s), 3(w)(i)(ii), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है, से सम्बन्धित है। उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध अपने भाई गुड्डु यादव के द्वारा किये गये कृत्य की खिलाफत न करते हुए, इन दोनो लोगों के द्वारा भी गुड्डु यादव का पक्ष लेते हुए, सूचिका को जाति सूचक गाली दिया जाने लगा। अभियुक्तगण की संज्ञान के उपरांत प्रथम उपस्थिति है तथा उपरोक्त अभियुक्तगण इस न्यायालय द्वारा निर्गत जमानतीय अधिपत्र पर स्वतः न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किये है। सूचिका को जमानत आवेदन की सुनवाई पर उपस्थिति हेतु विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है लेकिन वह उपस्थित नहीं है। कांड दैनिकी से यह परिलक्षित होता है कि अभियुक्तगण नोटिस पर थाना के समक्ष उपस्थित हुए है, लेकिन थाना द्वारा उन्हें गिरफ्तार न कर धारा 41(1) दं0प्र0सं0 के तहत पुलिस बंधपत्र पर मुक्त किया है, जिसका उल्लेख कांड दैनिकी के कंडिका–40 में उल्लेखित है, जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के द्वारा अनुसंधान में सहयोगात्मक रवैया अपनाया गया है। आवेदकगण का अपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुये, आवेदकगण की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। अतएव उपरोक्त अभियुक्तगण नामतः 1. श्रीकांत यादव उर्फ श्रीकांत कुमार एवं 2. नन्हे यादव उर्फ मुलायम यादव को मो0–10000X2 (दस हजार) रूपये प्रत्येक का बंधपत्र व इतनी ही राशि के दो प्रतिभू द्वारा बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि अभियुक्तगण साक्ष्य व साक्षी को प्रभावित नहीं करेंग वाद के विचारण एवं निष्पादन में पूर्णत : सहयोग करेंगे, प्राप्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे तथा आर्थिक दण्ड स्वरूप प्रति अभियुक्त मो0–500/–रूपया यानी कुल राशि मो0–1000/–रूपया जमा करेंगे।

आदेश की तिथि	10.03.2026
आदेश सुरक्षित रखने की तिथि	नही
अपलोड करने की तिथि	11.03.2026
द्वारा अपलोड किया गया	स्टेनोग्राफर

लेखापित

(विश्व विभूति गुप्ता),
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति,बच्चे, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम),औरंगाबाद।
10.03.2026